# समग्र पर एकीकृत डेटाबेस

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं कम्प्यूटरीकृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था शासन द्वारा समग्र कार्यक्रम के सूचना प्रौद्योगिकी कार्य के लिये राष्ट्रीय सूचना केन्द्र म.प्र. को अधिकृत किया गया, एन.आई.सी. द्वारा एकीकृत डेटाबेस तैयार करने तथा डाटा संधारण के लिये समग्र पोर्टल का विकास किया गया। इस कार्य में तकनीकी निदेशक श्री सुनील जैन का सतत मार्गदर्शन और सक्रिय भूमिका रही है।

प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर समग्र सर्वे फार्म में जानकारी भरी गई इन जानकारियों के आधार पर एन.आई.सी. द्वारा निर्मित समग्र पोर्टल पर ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों, ग्राम रोजगार सहायक तथा शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों, वार्ड कार्यालयों द्वारा परिवार एवं सदस्यों का ऑनलाइन पंजीयन किया गया, जिसकी सहायता से समग्र मिशन ने एकीकृत डेटाबेस तैयार किया।

**स्टेट जनसंख्या पंजी –**

- प्रदेश में निवासरत समस्त परिवारों एवं सदस्यों का घर-घर जाकर सर्वे कार्य करने के उपरांत समस्त परिवारों एवं सदस्यों की विस्तृत जानकारी हासिल की गई।
- जानकारी में निम्न विवरण भी विशेष रूप से शामिल था जिसके माध्यम से परिवार और सदस्य की विभिन्न शासकीय योजनाओं की पात्रता तथा अधिकारिता ज्ञात की जा सके:
  - परिवार : मुखिया का नाम, पता, जाति वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग), धर्म, अल्पसंख्यक, BPL/AAY आदि।
  - सदस्य : नाम, आयु, लिंग, वैवाहिक स्तर, व्यवसाय/कार्यक्षेत्र, शैक्षणिक स्तर, विकलांगता : प्रकार एवं प्रतिशत, श्रमिक संवर्ग, यदि पेंशनर हैं तो पेंशन योजना विवरण, बचत खाता।
  - छात्रों से संबंधित जानकारी जैसे स्कूल का नाम, स्कूल डाईस कोड, कक्षा।
- इस जानकारी का कम्प्यूटरीकरण कर 1,87,98,630 परिवारों तथा 7,94,96,655 सदस्यों की विस्तृत प्रोफाइल का ऑनलाइन डेटाबेस समग्र जनसंख्या पंजी पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया। पूरे देश में इस तरह का कार्य करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है।
- प्रत्येक परिवार को पोर्टल पर पंजीकृत कर उसकी पहचान एवं योजनाओं के लाभ के लिये 8 अंकों का समग्र परिवार यूनिक आई.डी. जारी किया गया।
- प्रत्येक सदस्य को परिवार में पंजीकृत कर 9 अंकों का समग्र सदस्य यूनिक आई.डी. जारी किया गया, यूनिक आई.डी. किसी भी अन्य परिवार या सदस्य को जारी नहीं किये जायेंगे। व्यक्ति स्वयं भी समग्र पोर्टल पर जाकर अपने एवं परिवार के सदस्य की समग्र यूनिक आई.डी. को प्राप्त कर सकता है।
- इस डेटाबेस का पोर्टल पर ऑनलाइन संधारण तथा अपडेशन संबंधित जनपद पंचायत और नगरीय निकायों द्वारा ही किया जाएगा है।
- नवजात शिशु के पंजीयन करने से पंजीयन होने के उपरांत हितग्राही को पात्रतानुसार प्रसूति सहायता एवं प्रसूति अवकाश सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।
- मृत व्यक्ति को रिप्लेट पोर्टल पर करने के उपरांत पात्रतानुसार राष्ट्रीय परिवार सहायता, बीमा, मृतक की पत्नि को विधवा पेंशन एवं अंत्येष्टि सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- जन्म एवं मृत्यु की रिप्लेट पोर्टल पर होने से जानकारी अद्यतन रहती है।
- समग्र जनसंख्या पंजी पोर्टल शासन के लिये आर्थिक जनगणना, जातिगत जनगणना एवं अन्य कार्यक्रमों के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण पोर्टल है।

• सपना त्यागी

### हितग्राही को जारी समग्र स्लिप का प्रारूप

Samagra Slip (Front Side)

Samagra Slip (Back Side)

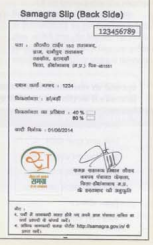

### समग्र आई.डी. कैसे प्राप्त करें

यदि आपका समग्र आई.डी. प्राप्त नहीं हुआ है, तो अपने स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और यदि नगर के वासी हों तो जोन/वार्ड कार्यालय/नगरीय निकाय कार्यालय से सम्पर्क कर अपना पंजीयन समग्र पोर्टल पर सुनिश्चित करें।



**योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को त्वरित गति से पहुंच सके तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता रहे इसके लिये एन.आई.सी. द्वारा निम्न वेबपोर्टल तैयार किये गये –**

| | |
|---|---|
| राज्य जनसंख्या पंजी पोर्टल | (SPR.samagra.gov.in) |
| समग्र खाद्य सुरक्षा पोर्टल | (NFSA.samagra.gov.in) |
| समग्र शिक्षा एवं छात्रवृत्ति पोर्टल | (SHIKSHA.samagra.gov.in) |
| समग्र पेंशन पोर्टल | (PENSIONS.samagra.gov.in) |
| समग्र विवाह पोर्टल (कन्यादान/ निकाह योजना) | (VIVAH.samagra.gov.in) |
| समग्र स्पर्श पोर्टल | (SPARSH.samagra.gov.in) |

## समग्र पोर्टल पर नये परिवार और परिवार सदस्यों का पंजीयन

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के निवासी सभी परिवारों और व्यक्तियों का समग्र पोर्टल पर एकीकृत डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस डाटाबेस में विभिन्न परिवार और हितग्राहीमूलक योजनाओं को सरलता और पारदर्शिता के साथ अमल में लाया जा सकेगा। इस मकसद से सभी नगरीय और ग्रामीण निकायों में परिवार और परिवार सदस्यों के पंजीयन की सघन मुहिम चलाई जा रही है।

यह कार्य बेहतर रूप से संपन्न हो सके इसके लिये ग्रामीण निकायों में ग्राम रोजगार सहायक और नगरीय निकायों में वार्ड प्रभारियों को ग्राम या वार्ड पंजीयक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। ये पंजीयक समग्र पोर्टल पर नवीन परिवारों का पंजीयन, अपडेशन और विलोपन की कार्रवाई के लिये जिम्मेदार होंगे। इस बारे में समस्त कलेक्टर (जिला मिशन लीडर) और समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जो डिप्टी मिशन लीडर भी है उन्हें विस्तृत दिशा निर्देश भेजे गये हैं।

संचालक मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन श्री संकेत भोंडवे ने बताया कि जिन परिवारों और परिवार सदस्यों का पंजीयन अब तक समग्र पोर्टल पर नहीं हो सका है, उन्हें सामग्र पंजी फार्म में जरूरी जानकारियां भरकर समग्र पंजीयक के पास जमा कराना होगा। परिवारों एवं परिवार सदस्यों के संबंध में जो जानकारी फार्म में दर्ज होगी उसमें आयु, जाति, मूल निवास, विकलांगता, बीपीएल, श्रमिक संवर्ग से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज साथ में जमा करना होंगे। इन जानकारियों का सत्यापन हो जाने के बाद संबंधित परिवार को 8 अंकों की यूनिक समग्र परिवार आईडी उपलब्ध कराई जावेगी। इसी तरह परिवार के हर सदस्य को 9 अंकों की यूनिक समग्र सदस्य आईडी दी जावेगी। संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय में नियुक्त पंजीयक पापुलेशन रजिस्टर से ग्राम पंचायतवार तथा वार्डवार पंजीकृत समस्त परिवारों और सदस्यों की सूची को डाउनलोड कर कम्प्यूटर में ऐसे सभी विवरण सुरक्षित रखेंगे। इस सूची के सृजन के बाद रजिस्टर में भी दर्ज किया जावेगा। एक व्यक्ति को एक से अधिक समग्र आईडी नहीं बनाई जा सके इस बारे में भी जरूरी हिदायतें और सावधानियां बरती जावेंगी। समग्र पंजीयक पापुलेशन रजिस्टर में दर्ज विवरणों में से ग्राम पंचायतवार तथा वार्डवार हर परिवार और सदस्यों के विवरण की पहचान करेंगे। ये इस सूची को देख कर जो परिवार तथा सदस्य संभवतः एक से अधिक बार पंजीकृत हुए हैं, उनका विवरण विलोपित करेंगे। इसी तरह किसी पंजीयक के कार्यक्षेत्र में यदि किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है या किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो स्व-प्रमाणीकृत जन्म प्रमाण पत्र अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर जन्म की जानकारी जोड़ना और मृत सदस्यों का विवरण विलोपित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। पंजीयक एवं जनपद पंचायत या नगरीय निकाय अपने क्षेत्र में निवासरत समस्त परिवारों का समग्र पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित करेंगे और यह प्रमाणित करेंगे कि उनके क्षेत्र के समस्त परिवारों एवं सदस्यों का पंजीयन समग्र पोर्टल पर कर लिया गया है। इस प्रकार के डाटा संग्रहण में किसी भी तरह की अनियमितता के मामलों में संबंधित पंजीयक जवाबदेह होंगे।

• देवेन्द्र जोशी